न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 58 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री जयराम गुर्जर, प्रवर्तन निरीक्षक

   बनाम

   मैसर्स श्री सत्यनारायण जाट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चौरु, फागी।
4. निर्णय दिनांक :
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री जयराम गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.10.2017 को मैसर्स श्री सत्यनारायण जाट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चौरु तहसील फागी जिला जयपुर पर जांच कार्यवाही की गयी। दौराने जांच माह सितम्बर से वक्त जांच तक कुल 1590.82 क्विंटल गेहूं की आवक हुयी। इस अवधि के दौरान पोस मशीन से उक्त अवधि में कुल वितरण 1484.45 क्विंटल होना पाया गया। इस प्रकार शेष स्टॉक 106.37 क्विंटल गेहूं होना चाहिये था। परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में 266 कट्टे मिले जिनमें 133 क्विंटल गेहूं होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की दुकान पर 26.50 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया। उक्त अधिक पाये गये गेहूं को प्रार्थी द्वारा जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर अधिक मात्रा में पाये गये गेहूं से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिकवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने व उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 28.05.2025 को जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। आज भी बारम्बार आवाज दिलाई गई बावजूद अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 3.6.25 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.10.2017 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान से जब्त सामान की माह सितम्बर से वक्त जांच तक कुल 1590.82 क्विंटल गेहूं की आवक हुयी। इस अवधि के दौरान पोस मशीन से उक्त अवधि में कुल वितरण 1484.45 क्विंटल होना पाया गया। इस प्रकार शेष स्टॉक 106.37 क्विंटल गेहूं होना चाहिये था। परन्तु भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर 26.50 क्विंटल गेहूं अधिक पाया गया। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति ने भी उक्त जब्त माल के संबंध कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया। दौराने जांच अप्रार्थी ने भौतिक सत्यापन में अधिक पाये गये 26.50 क्विंटल गेहूं की स्वीकारोक्ति भी की थी। अप्रार्थी द्वारा मौके पर तथा आज दिनांक तक भी अधिक मात्रा में पाये गये गेहूं से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। जिससे अप्रार्थी द्वारा गेहूं का अवैध रूप से क्रय–विक्रय किया जाना स्पष्ट होता है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्य व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 26.50 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.6.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर